

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 25 जुलाई 2017

विषय:- जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी०टी० रोड का आन्तरिक भाग के किमी० 161.800 से किमी० 180.00 (कोखराज से मनौरी तक) चार लेन के चौड़ीकरण निर्माण में बाधक 1753 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं क्षेत्रफल 17.626 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-8बी/06/108/2016/ एफसी/ 69, दिनांक 01-6-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में आर०ई०सी० की बैठक दिनांक 30-5-2017 में इंगित कमियों का निराकरण कर आनलाईन अपलोड किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- अतएव आपके उक्त पत्र दिनांक 09-6-2017 की अपेक्षा के क्रम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01-6-2017 संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु ऑन लाइन प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।